

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग  
जल संसाधन विभाग संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी  
एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक 19/10/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 49S27010300106 अन्तर्गत 7 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 252.46 लाख (दो करोड़ बावन लाख छियालीस हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	252.460

कुल आवंटित राशि -

रुपये दो करोड़ बावन लाख छियालीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि ₹ 8639.32 लाख (छियासी करोड़ उन्वालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि०16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास )  
संयुक्त सचिव(अभि०)

9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरान्त ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट ( <http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

  
14/10/20  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 67

रॉंची, दिनांक :- 19/10/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


  
14/10/20  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 67

रॉंची, दिनांक :- 19/10/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉंची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव(अभि०)

  
14/10/20  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव



भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक  
लाघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक 67 दिनांक 19/10/2020 का अनुलानक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2020-2021	विरुद्ध शीर्ष-01-वेन एवं नत्तें				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां अन्य व्यय		विरुद्ध शीर्ष-07-विधि प्रसार		राशि लाख रुपये में
		वेन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	वेन नत्तें	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार	कुल योग	अतिरिक्त					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	विपत्र कोड	49S270103001 060101	49S270103001 060110	49S270103001 1060112	49S270103001 1060213	49S270103001 1060315	49S270103001 1060316	49S270103001 060323	49S270103001 060333	49S270103001 060334	49S270103001 060337	49S270103001 1060442	49S270103001 1060760	43.300					
2	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	पूर्व का आवंटन	42.000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	43.300					
3	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	अतिरिक्त आवंटन	18.000	0.000	0.000	0.700	0.700	0.000	0.500	0.300	0.000	1.400	1.000	0.000	22.600					
4	जलपथ प्रमंडल, चार्डीबासा	कुल आवंटन	60.000	0.000	0.000	1.000	1.100	0.000	0.500	0.400	0.000	1.400	1.500	0.000	65.900					
5	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	56.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	56.800					
6	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	1.740	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.740					
7	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	अग्रिम आवंटन	56.000	0.000	0.000	1.940	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	58.540					
		पूर्व का आवंटन	55.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	55.800					
		अतिरिक्त आवंटन	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.700	0.000	30.800					
		अग्रिम आवंटन	85.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.000	0.000	86.600					
		पूर्व का आवंटन	287.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	287.500					
		अतिरिक्त आवंटन	119.470	0.000	0.000	1.300	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	1.300	0.000	0.600	123.270					
		अग्रिम आवंटन	406.470	0.000	0.000	1.500	0.750	0.000	0.000	0.150	0.000	1.300	0.000	0.600	410.770					
		पूर्व का आवंटन	228.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	228.750					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.300	0.000	0.000	1.300					
		अग्रिम आवंटन	228.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	230.050					
		पूर्व का आवंटन	404.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	404.500					
		अतिरिक्त आवंटन	72.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	72.250					
		अग्रिम आवंटन	476.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	476.750					
		पूर्व का आवंटन	252.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	252.800					
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.500					
		अग्रिम आवंटन	252.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.500	253.300					
		अतिरिक्त आवंटन	239.470	0.000	0.000	3.740	1.450	0.000	0.500	0.500	0.000	4.000	1.700	1.100	252.460					

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/दखत दि० 04.02.13 के आलाक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकषण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

(सिद्धेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये दो करोड़ बावन लाख छियालीस हजार मात्र